माननीय इलाका मजिस्ट्रेट, मोहाली, एस.ए.एस. नगर की अदालत में

शिकायत संख्या _____ वर्ष **2026**

XXXXXXXXXXXX
…आवेदिका/शिकायतकर्ता

बनाम

XXXXXXXXXXX एवं अन्य
…प्रतिवादीगण

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, **2005** की धारा **23** के अंतर्गत अंतरिम आदेश प्रदान किए जाने हेतु आवेदन

माननीय न्यायालय के समक्ष सादर निवेदन है:

1. कि शिकायतकर्ता ने महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12, 17, 18, 19, 20 एवं 22 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी विषय-वस्तु को इस आवेदन का भी भाग माना जाए, क्योंकि संक्षिप्तता एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से उन्हें इस आवेदन में पुनः वर्णित नहीं किया जा रहा है।

2. कि उक्त आवेदन में शिकायतकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश, धारा 19 के अंतर्गत निवास आदेश, धारा 20 के अंतर्गत मौद्रिक राहत, धारा 22 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति आदेश तथा धारा 23 के अंतर्गत अंतरिम आदेश प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. कि शिकायतकर्ता निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण माननीय न्यायालय से तत्काल राहत की मांग कर रही है:

क. कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 शिकायतकर्ता को वैवाहिक घर से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं तथा उनका उद्देश्य तलाक प्राप्त करना है, जबकि दोनों प्रतिवादियों ने लिखित रूप से शिकायतकर्ता के साथ घरेलू हिंसा के कृत्यों को दोबारा न दोहराने का आश्वासन दिया था। उक्त समझौता/बयान, जिस पर दोनों प्रतिवादियों एवं शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे, उसकी प्रति अनुलग्नक **C-1** के रूप में संलग्न है।

ख. कि प्रतिवादी संख्या 1 शिकायतकर्ता के साथ जबरन एवं अप्राकृतिक यौन गतिविधियों के माध्यम से उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करता है, जिसका उद्देश्य शिकायतकर्ता को परेशान करना तथा उसे वैवाहिक घर से बाहर निकालना है।

ग. कि शिकायतकर्ता स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है क्योंकि प्रतिवादियों के प्रभावशाली अधिकारियों से संबंध हैं तथा वे एक आई.ए.एस. अधिकारी के पुत्र एवं पत्नी हैं, जिनका वर्ष _____ में निधन हो चुका है। प्रतिवादीगण शिकायतकर्ता को सदैव धमकी देते रहे हैं कि यदि

उसने अपनी समस्याओं के संबंध में अपने माता-पिता अथवा किसी रिश्तेदार से चर्चा की तो उसे पत्नी के रूप में प्राप्त सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

घ. कि प्रतिवादीगण अनुचित दहेज की मांगों को लेकर शिकायतकर्ता को प्रताड़ित करते हैं अथवा वैकल्पिक रूप से शिकायतकर्ता पर जबरन आपसी सहमति से तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने तथा वैवाहिक घर छोड़ने के लिए दबाव डालते हैं। दोनों प्रतिवादी शिकायतकर्ता को एक सर्वेंट रूम में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं तथा वैवाहिक घर में रखे उन सभी उपकरणों एवं सुविधाओं का उपयोग करने से रोकते हैं, जिन्हें शिकायतकर्ता के माता-पिता ने प्रतिवादियों की बार-बार मांगों को पूरा करने के लिए दिया था।

ङ. कि प्रतिवादीगण शिकायतकर्ता के साथ घरेलू नौकरानी की तरह व्यवहार करते हैं तथा उसे टीवी देखने, ए.सी. चलाने अथवा अपने ऑनलाइन कार्यालयीन कार्य के लिए इंटरनेट का उपयोग करने तक की अनुमति नहीं देते।

च. कि प्रतिवादी संख्या 2 ने शिकायतकर्ता के सभी स्त्रीधन के सामान को जबरन अपने कब्जे में रखा हुआ है तथा शिकायतकर्ता को किसी भी आभूषण का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती, यहां तक कि किसी पारिवारिक समारोह के अवसर पर भी नहीं।

छ. कि दिनांक **10.04.2026** को प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ने शिकायतकर्ता की इच्छा के विरुद्ध उसका पूरा सामान पैक कर दिया तथा उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने पुलिस कंट्रोल रूम में आपातकालीन शिकायत की। पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से शिकायतकर्ता किसी प्रकार अपने वैवाहिक घर, मकान संख्या XXXXXXXXXXX, मोहाली में रह सकी, लेकिन वह अत्यधिक भय एवं प्रतिबंधों के वातावरण में रह रही है। यद्यपि दोनों प्रतिवादियों ने पुलिस थाने में लिखित बयान दिया था तथा शिकायतकर्ता को परेशान या प्रताड़ित न करने का वचन दिया था, लेकिन उसके बाद भी शिकायतकर्ता के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जा रहा है तथा दोनों प्रतिवादी उसे कार्यालय जाने से पहले और कार्यालय से वापस आने के बाद अकेले झाड़ू-पोंछा एवं सफाई आदि का पूरा कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं।

4. कि शिकायतकर्ता अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अंतरिम आदेश प्राप्त करने की अधिकारी है।

i) प्रतिवादियों को शिकायतकर्ता को धमकी देने से रोकते हुए संरक्षण आदेश पारित किया जाए।

ii) शिकायतकर्ता के वैवाहिक घर, मकान संख्या XXXXXXXXXXX, मोहाली, जो उसके पति अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर है, में उसके निवास के अधिकार की रक्षा हेतु आदेश पारित किया जाए तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को शिकायतकर्ता को उक्त वैवाहिक घर से बाहर निकालने का कोई प्रयास न करने के आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

iii) शिकायतकर्ता/पीड़ित महिला को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

iv) प्रतिवादियों को वैवाहिक घर संख्या XXXXXXXXXXX, मोहाली को बेचने, हस्तांतरित करने, अलग करने अथवा किसी अन्य प्रकार से निस्तारित करने से रोका जाए।

v) प्रतिवादी को शिकायतकर्ता को न्याय प्राप्त करने हेतु मुकदमेबाजी के खर्चों की पूर्ति के लिए **₹3,00,000/-** अदा करने का निर्देश दिया जाए। अधिवक्ता को भुगतान की गई एवं देय फीस का विवरण अनुलग्नक **____** के रूप में संलग्न है।

5. कि शिकायतकर्ता का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है और संलग्न आवेदन में शिकायतकर्ता के सफल होने की पूर्ण संभावना है।

6. कि यदि मांगे गए अंतरिम आदेश प्रदान नहीं किए जाते हैं तो शिकायतकर्ता को अपूरणीय क्षति एवं गंभीर चोट/हानि होगी।

अतः यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय कृपया इस आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायहित में मांगे गए आवश्यक अंतरिम/अंतरिम-पूर्व आदेश पारित करने की कृपा करे।

स्थान: मोहाली
दिनांक: _____

शिकायतकर्ता

शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता

दीपक मल्होत्रा एवं अविष मल्होत्रा, अधिवक्ता

माननीय इलाका मजिस्ट्रेट, मोहाली, एस.ए.एस. नगर की अदालत में

शिकायत संख्या _____ वर्ष **2026**

XXXXXXXXXX, आयु लगभग 35 वर्ष,
पत्नी XXXXXXXXXXX, निवासी XXXXXXXXXXX, मोहाली, पिन 160062
…आवेदिका/शिकायतकर्ता

बनाम

1. XXXXXXXXXXX, पुत्र स्वर्गीय श्री XXXXXXXX, निवासी XXXXXXXXXXX, मोहाली, पिन 160062
(पति)

2. XXXXXXXXXXXXXXX, पत्नी XXXXXXXXX, निवासी XXXXXXXXXXX, मोहाली, पिन 160062
(सास)
…प्रतिवादीगण

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम**, 2005** की धारा **12, 17, 18, 19, 20** एवं **22** के अंतर्गत शिकायत/आवेदन

निवास के अधिकार, संरक्षण, मौद्रिक राहत एवं अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कृत्यों के कारण क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन

माननीय न्यायालय के समक्ष सादर निवेदन है**:**

1. कि शिकायतकर्ता ने महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी विषय-वस्तु को इस आवेदन का भी भाग माना जाए, क्योंकि संक्षिप्तता एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उसे यहां पुनः वर्णित नहीं किया जा रहा है।

2. कि उक्त आवेदन में शिकायतकर्ता ने अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश, धारा 19 के अंतर्गत निवास आदेश, धारा 20 के अंतर्गत मौद्रिक राहत, धारा 22 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति आदेश तथा धारा 23 के अंतर्गत अंतरिम आदेश की प्रार्थना की है।

संक्षिप्त तथ्य

1. कि शिकायतकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 की विधिवत विवाहित पत्नी है तथा दिनांक _____ को हुए विवाह के पश्चात वह प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के साथ मकान संख्या XXXXXXXXX, मोहाली स्थित वैवाहिक घर में रह रही है। विवाह प्रमाण-पत्र तथा

शिकायतकर्ता का निवास संबंधी शपथ-पत्र क्रमशः अनुलग्नक **C-2** एवं **C-3** के रूप में संलग्न हैं।

2. कि शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 का विवाह दिनांक _____ को गुरुद्वारा _____ में सिख रीति-रिवाजों एवं समारोहों के अनुसार संपन्न हुआ था तथा शिकायतकर्ता के पिता ने अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च किया, क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा उन पर दबाव डाला गया था।

3. कि शिकायतकर्ता के पिता ने प्रतिवादी परिवार को पर्याप्त दहेज दिया तथा प्रतिवादियों की मांग के अनुसार प्रतिवादी पक्ष के प्रत्येक रिश्तेदार को उपहार भी दिए गए।

4. कि चूंकि शिकायतकर्ता का यह दूसरा विवाह था, इसलिए उसके पिता को प्रतिवादियों द्वारा रखी गई सभी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। आश्चर्यजनक रूप से विवाह से कुछ दिन पूर्व, यह जानते हुए भी कि शिकायतकर्ता का परिवार पूर्णतः शाकाहारी है, प्रतिवादियों ने अचानक विवाह समारोह में अपने सभी रिश्तेदारों के लिए मांसाहारी भोजन परोसने की मांग की तथा अपने घर के लिए एलईडी टीवी और फ्रिज उपहार के रूप में देने की मांग की। प्रतिवादियों ने धमकी दी कि यदि शिकायतकर्ता का परिवार उनकी मांगें पूरी नहीं करता तो विवाह तोड़ दिया जाएगा। शिकायतकर्ता के पिता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा और उन्होंने मांसाहारी भोजन की व्यवस्था तथा एलईडी टीवी एवं फ्रिज देने पर अतिरिक्त राशि खर्च की, इस आशा के साथ कि विवाह के बाद प्रतिवादी परिवार शिकायतकर्ता की उचित देखभाल करेगा।

5. कि प्रतिवादियों का लालच समाप्त नहीं हुआ और विवाह के केवल दो महीने बाद ही उन्होंने शिकायतकर्ता से पुनः पैसे की मांग शुरू कर दी। जब शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो प्रतिवादियों ने उसे अपने मायके से पैसे लाने के लिए धमकाना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने उन्हें बताया कि उसके पिता पहले ही विवाह पर बहुत अधिक राशि खर्च कर चुके हैं और वह उनसे और पैसे नहीं मांग सकती, फिर भी प्रतिवादियों ने उसे जबरन मायके भेज दिया और धमकी दी कि वह अपने माता-पिता से पैसे लेकर आए बिना वापस न आए। शिकायतकर्ता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और उसने इस आशा में अपने पिता से पैसे मांगे कि उसके वैवाहिक घर की परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी।

6. कि प्रतिवादी संख्या 1 ने बार-बार शिकायतकर्ता पर अपने माता-पिता से और अधिक पैसे लाने का दबाव डाला और उसके मना करने पर कहा कि वह किसी पी.जी. में नहीं रह रही है और प्रतिवादी संख्या 1 शिकायतकर्ता के खर्चे नहीं उठा सकता। जब शिकायतकर्ता ने इनकार किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने उसे मारा-पीटा, उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा गंभीर परिणामों से बचने के लिए उसके माता-पिता से और अधिक पैसे लाने की धमकी दी।

7. कि प्रतिवादी संख्या 1 ने शिकायतकर्ता को मनाली की हनीमून यात्रा का खर्च उठाने के लिए मजबूर किया, जिसकी लागत **₹92,000/-** थी और उक्त राशि शिकायतकर्ता ने दिनांक _____ को GPay के माध्यम से अदा की। प्रतिवादी संख्या 1 ने इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं किया।

8. कि विवाह के समय प्रतिवादी परिवार ने शिकायतकर्ता के परिवार को आश्वासन दिया था कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर कई संपत्तियां हैं और उसकी पर्याप्त आय है, ताकि शिकायतकर्ता को सुखी एवं सुरक्षित जीवन मिल सके। लेकिन विवाह के दो वर्ष बाद भी प्रतिवादियों ने शिकायतकर्ता को उसके पति के स्तर के अनुरूप जीवन जीने के लिए कोई राशि नहीं दी और उसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं के खर्चों को पूरा करने के लिए नौकरी करने हेतु मजबूर किया। इसके अतिरिक्त, विवाह के पहले दिन से ही उन्होंने शिकायतकर्ता के सभी सोने-चांदी के आभूषण, उपहार एवं अन्य मूल्यवान सामान यह कहकर अपने कब्जे में रख लिया कि सामान सुरक्षित रखा जाएगा। सोने-चांदी के आभूषणों एवं घरेलू सामान की सूची अनुलग्नक **C-4** के रूप में संलग्न है।

9. कि प्रतिवादी संख्या 1 शिकायतकर्ता को गालियां देता था तथा उसके चरित्र एवं उसके पूर्व विवाह को लेकर प्रश्न करता था। वह शिकायतकर्ता को अपने किसी रिश्तेदार से मिलने की अनुमति नहीं देता था और यहां तक कि चिकित्सा संबंधी आपातकाल में भी उसे अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने की अनुमति नहीं देता था। प्रतिवादी संख्या 1 ने सभी रिश्तेदारों के सामने शिकायतकर्ता के बारे में बुरा कहा। वह शिकायतकर्ता को उसके दूसरे विवाह के लिए ताने देता था तथा कहता था कि उससे विवाह करके उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है।

10. कि प्रतिवादीगण शिकायतकर्ता को अपने माता-पिता से बात करने और उनसे मिलने तक की अनुमति नहीं देते थे, सिवाय उन परिस्थितियों के जब उन्हें शिकायतकर्ता के पिता से पैसे की आवश्यकता होती थी। जब शिकायतकर्ता के पिता ने प्रतिवादी परिवार से उसे मायके जाने देने का अनुरोध किया तो प्रतिवादीगण धमकी देते थे कि यदि शिकायतकर्ता एक बार उनके घर से बाहर गई तो वे उसे दोबारा वैवाहिक घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। शिकायतकर्ता के माता-पिता ने विवाह टूटने के भय से प्रतिवादियों की शर्त स्वीकार कर ली।

11. कि प्रतिवादियों को यह एहसास होने के बाद कि शिकायतकर्ता के माता-पिता ऐसी धमकी से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 शिकायतकर्ता को मारता-पीटता और गालियां देता था। वह अपना गुस्सा एवं हताशा शिकायतकर्ता पर निकालता था। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को यह धमकी भी दी कि वह उसके विरुद्ध पुलिस थाने में झूठी शिकायत कर देगा। शिकायतकर्ता ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए यह सब चुपचाप सहन किया।

12. कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 विभिन्न तरीकों से शिकायतकर्ता को परेशान करते थे। उन्होंने घर की नौकरानी को काम से हटा दिया और शिकायतकर्ता को

खाना बनाने, बर्तन धोने, घर की सफाई आदि के लिए घरेलू नौकरानी की तरह काम करने के लिए मजबूर किया तथा उसे घर की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी।

13. कि शिकायतकर्ता को टीवी, ए.सी. आदि का रिमोट तक छूने की अनुमति नहीं थी, जबकि ये सामान वास्तव में विवाह के समय उसके पिता द्वारा प्रतिवादियों की अंतिम समय की मांग पर दिए गए थे। शिकायतकर्ता को घर में किसी भी सामान अथवा सुविधा का उपयोग करने से रोका जाता था और उसे अपने बिस्तर के अलावा घर में कहीं बैठने तक की अनुमति नहीं थी। यदि वह विरोध करती तो प्रतिवादीगण उसे धमकी देते कि यदि उसने उनके सामने बोलने की हिम्मत की तो वे उसका सामान पैक करके उसे उसके माता-पिता के घर अथवा सर्वेंट हाउस भेज देंगे।

14. कि कई बार प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 अपने लिए बाहर से खाना मंगाते थे और शिकायतकर्ता को उस समय खाना खाने की अनुमति नहीं देते थे अथवा उसे केवल बासी या बचा हुआ खाना खाने दिया जाता था, जिसके कारण शिकायतकर्ता का स्वास्थ्य खराब हो गया।

15. कि प्रतिवादी संख्या 1 ने शिकायतकर्ता को पत्नी के रूप में कोई अधिकार नहीं दिया। उसने शिकायतकर्ता को अपने आधार कार्ड में मायके के पते को बदलकर वैवाहिक घर का पता दर्ज करने की अनुमति तक नहीं दी। प्रतिवादी संख्या 1 उसे सामाजिक समारोहों अथवा पारिवारिक कार्यक्रमों में भी नहीं ले जाता था, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 अपने विवाह को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहता और उसे अपनी पत्नी बताने में शर्म महसूस करता है।

16. कि शिकायतकर्ता इन सभी परिस्थितियों को इस आशा में सहन करती रही कि एक दिन प्रतिवादी संख्या 1 का व्यवहार बदल जाएगा और वह उसे खुशी से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। प्रतिवादी शिकायतकर्ता के दूसरे विवाह के तथ्य से अवगत है और जानता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वह विवाह नहीं तोड़ेगी तथा प्रतिवादी इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठा रहा है।

17. कि एक दिन जब शिकायतकर्ता अपने कार्यालय से केवल 15 मिनट देर से पहुंची तो प्रतिवादी संख्या 1 ने उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया और उस पर कुछ पुरुषों के साथ घूमने का आरोप लगाया। उसने शिकायतकर्ता का सामान बैग में पैक कर दिया और उसे अपने माता-पिता के घर अथवा सर्वेंट रूम में जाने के लिए कहा। शिकायतकर्ता बहुत रोई और उनसे उसे बाहर न भेजने की विनती की। इसके बाद लगभग 4-5 घंटे बाद उसे परिसर में प्रवेश करने दिया गया।

18. कि वर्ष 2019 में शिकायतकर्ता गर्भवती हुई। उसे आशा थी कि इस समाचार से प्रतिवादियों का व्यवहार बदल जाएगा और वे उसे परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके विपरीत, प्रतिवादीगण बच्चे के पितृत्व पर प्रश्न उठाते थे। वे गर्भावस्था के

दौरान भी शिकायतकर्ता को परेशान एवं प्रताड़ित करते थे। उसे सभी घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और किसी भी गलती पर उसे मारा-पीटा जाता तथा उसके माता-पिता के घर भेजने की धमकी दी जाती। उन्होंने गर्भावस्था के दौरान उसकी देखभाल नहीं की और विभिन्न आरोप एवं ताने देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। वे शिकायतकर्ता और उसके बच्चे को शाप देते थे। प्रतिवादी संख्या 1 शिकायतकर्ता को अस्पताल में जांच के लिए कभी नहीं ले गया और न ही दवाइयों एवं जांचों के लिए पैसे दिए। शिकायतकर्ता को गर्भावस्था के खर्चों के लिए अपने पिता अथवा मित्रों पर निर्भर रहना पड़ा, जबकि उस बच्चे के पिता होने के कारण उक्त खर्चों को वहन करना प्रतिवादी संख्या 1 का दायित्व था।

19. कि उचित देखभाल न होने, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना तथा भारी घरेलू कार्य करवाए जाने के कारण शिकायतकर्ता का सितंबर 2019 में गर्भपात हो गया, जिससे उसे अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा। उस समय भी उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया बल्कि प्रतिवादियों ने संभावित आरोपों एवं होने वाले खर्चों से बचने के लिए उसे उसके मायके भेज दिया।

20. कि शिकायतकर्ता को केवल कार्यालय जाने की अनुमति थी और उसे निर्देश दिया गया था कि वह सीधे कार्यालय से घर वापस आए तथा शेष समय घर से बाहर न निकले। कोविड-19 के कारण जब कार्यालयों ने घर से काम करना शुरू किया तो प्रतिवादी उसके कार्यालय समय के दौरान उसे परेशान करता और उसके काम में बाधा डालता था। हाल ही में वह उसका काम बाधित करने के उद्देश्य से Wi-Fi बंद कर देता था ताकि उसके कार्यालय में उसकी छवि खराब हो और वह स्वयं एक दिन प्रतिवादी के घर को छोड़ दे।

21. कि प्रतिवादी संख्या 1 अत्यंत क्रूर है और शिकायतकर्ता को कठोर मारपीट करता था। जब भी शिकायतकर्ता पुलिस को फोन करने का प्रयास करती तो वह उसका फोन छीन लेता और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता। वह शिकायतकर्ता के विरुद्ध किए जा रहे अत्याचारों में सहयोगी/उकसाने वाले की भूमिका निभाता रहा है। प्रतिवादी शिकायतकर्ता को अपने उच्च राजनीतिक संबंधों की धमकी भी देता था और कहता था कि यदि उसने पुलिस से संपर्क किया अथवा किसी अन्य व्यक्ति को बताया तो वह उसे तथा उसके मायके वालों की प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगा और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इन परिस्थितियों के भय से शिकायतकर्ता पूरे उत्पीड़न को चुपचाप सहन करती रही।

22. कि हाल ही में प्रतिवादी शिकायतकर्ता से छुटकारा पाने के उद्देश्य से उसे धमकी देने लगा है कि वह वैवाहिक घर को अपने भाई के नाम बेच देगा अथवा हस्तांतरित कर देगा, जिसका उच्च समाज में प्रभाव है, और शिकायतकर्ता को एक दिन के भीतर वैवाहिक घर से बाहर निकाल देगा।

23. कि प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतकर्ता को ताने देती थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 को शिकायतकर्ता को छोड़कर किसी योग्य लड़की से विवाह करने के लिए उकसाती थी।

प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतकर्ता को एक बहुत बड़ी गलती बताती थी और प्रतिवादी संख्या 1 की नजरों में उसकी छवि खराब करती थी। वह प्रतिवादी संख्या 1 को शिकायतकर्ता को घर से निकालने तथा अलग रहने के लिए उकसाती थी। उसने प्रतिवादी संख्या 1 को दूसरे विवाह के लिए मनाने और शिकायतकर्ता से तलाक लेने के उद्देश्य से उसे कुछ अन्य लड़कियों की तस्वीरें भी दिखाई थीं। प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतकर्ता को घर से निकालना चाहती है और इसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 को उकसाती रहती है। शिकायतकर्ता वैवाहिक घर नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है और वह गरिमा के साथ अपना वैवाहिक जीवन जारी रखना चाहती है।

24. कि शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी परिवार से अत्यधिक उत्पीड़न सहन किया है, जिसके कारण उसका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य काफी प्रभावित हुआ है। उसे प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है और वह इस भय में जीवन व्यतीत कर रही है कि उसे कभी भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। प्रतिवादीगण उसे विभिन्न तरीकों से इस उद्देश्य से प्रताड़ित करते रहे हैं कि वह स्वयं घर छोड़ दे और वे उसकी संपत्ति, स्त्रीधन एवं धन पर कब्जा कर सकें।

25. कि प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन प्रतिवादी परिवार द्वारा की जा रही प्रताड़ना शिकायतकर्ता के शांतिपूर्ण एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन कर रही है और उसके जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है।

26. कि शिकायतकर्ता अभी भी मोहाली स्थित अपने वैवाहिक घर में अलग कमरे में रह रही है और कार्रवाई का कारण भी मोहाली में उत्पन्न हुआ है। अतः माननीय न्यायालय को वर्तमान शिकायत पर विचार करने एवं उसका निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

27. कि शिकायतकर्ता ने इस माननीय न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में ऐसी या समान शिकायत दायर नहीं की है और इसलिए इस न्यायालय को वर्तमान मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 ने मोहाली न्यायालय में तलाक का मामला दायर किया हुआ है।

28. कि उचित न्यायालय शुल्क अदा कर दिया गया है।

घरेलू हिंसा

कि प्रतिवादी संख्या 1, पति, तथा प्रतिवादी संख्या 2, सास, शिकायतकर्ता को दहेज की मांग, उत्पीड़न एवं जान से मारने की धमकी आदि के माध्यम से लगातार मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तथा उनका उद्देश्य शिकायतकर्ता को मकान संख्या XXXXXX, मोहाली स्थित वैवाहिक घर से बाहर निकालना है।

मांगे गए आदेश

1. अधिनियम की धारा **17/18** के अंतर्गत संरक्षण आदेश

क. प्रतिवादियों को उपर्युक्त शिकायत में वर्णित किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा के कृत्य को दोहराने से रोकने हेतु निषेधाज्ञा/संरक्षण आदेश पारित किया जाए।

ख. प्रतिवादियों को शिकायतकर्ता को वैवाहिक घर से अलग करने अथवा उसे बाहर निकालने से रोका जाए।

ग. प्रतिवादी संख्या 1 को वैवाहिक घर को बेचने, हस्तांतरित करने अथवा अन्य प्रकार से अलग करने तथा शिकायतकर्ता की संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोका जाए।

घ. प्रतिवादियों को पीड़ित महिला के रिश्तेदारों अथवा उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों से दूर रहने तथा उनके विरुद्ध हिंसा करने से रोकने के लिए आवश्यक आदेश पारित किए जाएं।

2. अधिनियम की धारा **19** के अंतर्गत निवास आदेश

क. प्रतिवादियों को शिकायतकर्ता को मकान संख्या XXXXXXXXXXX, मोहाली स्थित वैवाहिक घर से बाहर निकालने अथवा बेदखल करने से रोका जाए।

ख. प्रतिवादियों को शिकायतकर्ता के वैधानिक अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से संपत्ति में अपने अधिकारों को त्यागने अथवा हस्तांतरित करने से रोका जाए।

ग. शिकायतकर्ता को उसके व्यक्तिगत घरेलू सामान एवं व्यक्तिगत वस्तुओं तक निरंतर पहुंच प्रदान करने का आदेश पारित किया जाए।

3. अधिनियम की धारा **20** के अंतर्गत मौद्रिक राहत

क. पीड़ित महिला के नियंत्रण से स्त्रीधन/संपत्ति के नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने अथवा हटाए जाने के कारण हुई हानि की राशि, अर्थात् ₹_____/- तथा मुकदमेबाजी के खर्चों के लिए **₹3,00,000/-** प्रदान करने का आदेश पारित किया जाए।

4. अधिनियम की धारा **22** के अंतर्गत क्षतिपूर्ति/हर्जाना आदेश

प्रतिवादी को शिकायतकर्ता द्वारा सहन किए गए मानसिक उत्पीड़न एवं भावनात्मक कष्ट के लिए, प्रतिवादियों द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कारण, क्षतिपूर्ति/हर्जाना अदा करने का आदेश पारित किया जाए।

मांगी गई क्षतिपूर्ति**: ₹50,00,000/-**

5. अन्य आदेश

माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य उचित आदेश पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थना

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय कृपया:

I. प्रतिवादियों को शिकायतकर्ता को धमकी देने से रोकते हुए संरक्षण आदेश पारित करे।

II. प्रतिवादियों के पास रखे शिकायतकर्ता के सभी दहेज के सामान, जिनमें सोने के आभूषण, फर्नीचर तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं, जो प्रतिवादियों द्वारा गलत तरीके से अपने कब्जे में रखी गई हैं, शिकायतकर्ता को वापस करने का आदेश पारित करे।

III. प्रतिवादियों को शिकायतकर्ता को वैवाहिक घर से बाहर निकालने अथवा उसे जबरन बेदखल करने का प्रयास करने से रोका जाए।

IV. शिकायतकर्ता/पीड़ित महिला को तत्काल आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

V. माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायहित में उचित एवं आवश्यक समझे जाने वाला कोई अन्य आदेश/निर्देश भी शिकायतकर्ता के पक्ष में पारित करने की कृपा करे।

स्थान: मोहाली
दिनांक: _____

शिकायतकर्ता

माध्यम से अधिवक्ता

दीपक मल्होत्रा एवं अविष मल्होत्रा
अधिवक्तागण